न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी–श्री वीरमा राम, आर.ए.एस

क्रमांक रीडर/2025/ 542 दिनांक – 10.02.2025

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1 प्रेमाराम 2 प्रबुद्ध आनंद 3 मेहराराम पिसरान खेताराम 4 लूणाराम पुत्र हिमताराम जातियान मेघवाल निवासीयान करणपुरा महाबार, तहसील व जिला बाड़मेर।		1 शंकरराम 2 नरसिंगाराम पिसरान भेराराम 3 खेताराम पुत्र सादुलाराम जातियान मेघवाल निवासीयान महाबार तहसील बाड़मेर ग्रामीण। 4 जोगराजसिंह पुत्र रावतसिंह जाति राजपूत निवासी महाबार, तहसील बाड़मेर ग्रामीण।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,करने नेखमबन्दी बाबत

राजस्व आवेदन संख्या :– 392/2024 दिनांक– 14/01/25

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा महाबार पटवार क्षेत्र महाबार तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 3585/233 रकबा 1.16 बीघा व खसरा संख्या 3587/233 रकबा 17.08 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/– अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(वीरमा राम)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

क्रमांक :– रीडर/2025/ 543-46 दिनांक– 10.02.2025

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :–

1. तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी महाबार तहसील बाड़मेर ग्रामीण को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थिगण प्रेमाराम पुत्र खेताराम वगैराह जाति मेघवाल निवासी करणपुरा महाबार, तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थीगण शंकराराम पुत्र भेराराम वगैराह जाति मेघवाल निवासी महाबार तहसील व जिला बाड़मेर। ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2025.06.04 16:21:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर